(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में कीटनाशकों का आयात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन्) : (क) देश में कृमिनाशकों की वार्षिक अनुमानित आवश्यकता लगभग 83,000 मी० टन है।

(ख) देश की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 1,10,000 मी० टन है। 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान उत्पादन क्रमश: 66,000, 70,000 और 75,000 मी० टन था।

(ग) केन्द्रीय कृषि और सहकारिता विभाग को प्राप्त कराई गई सूचना के अनुसार 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आयातित कृमिनाशकों की मात्रा क्रमश: 3,240, 1,389 और 1,094 मी० टन थी।

12.00 मध्याह्न

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

बोफोर्स मामले की जांच

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, पहली अप्रैल, 1992 को ही मैंने सदन में बोफोर्स अनुबन्ध से संबंधित जांच और मामलों के विषय पर वक्तव्य दिया था। इस विषय के सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक बहस के पश्चात मैंने स्पष्ट शब्दों में इस मामले पर सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख किया था। एक ही महीने में हम उसी विषय पर फिर चर्चा कर रहे हैं। पिछले अवसर की भांति, दुर्भाग्यवश, यह मामला एक बार फिर अखबारी रिपोर्टों के आधार पर उठाया गया है जिसमें कमोबेश उन्हीं बातों को दोहराया गया है जो अखबारों में पहले ही आ चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इस सदन में इस विषय पर जो कुछ पिछली बार कहा था उसमें कोई इजाफा नहीं कर सकता हूं। पिछली बातों को दोहराते हुए, जैसा कि तत्कालीन विदेश मंत्री श्री सोलंकी ने इस सदन को पहले बताया था कि वे पहली फरवरी, 1992 को दावोस में स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री श्री फेलबर से मिले थे। उन्होंने बोफोर्स अनुबन्ध से उत्पन्न मामलों से संबंधित भारत में चलाई जा रही कार्यवाहियों के संबंध में एक नोट श्री फेलबर को दिया था। मुझे उस नोट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और स्विट्जरलैंड सरकार के विदेश मंत्री को उस नोट को देने के लिए श्री सोलंकी को मेरे द्वारा प्राधिकृत करने का कोई सवाल ही नहीं था। यह इस मामले की सच्चाई है।

क्योंकि, वास्तव में, मैंने न तो उस नोट को देने के बारे में श्री सोलंकी को प्राधिकृत किया था और न ही मुझे उस नोट के बारे में जानकारी थी, इसलिए श्री सोलंकी द्वारा मेरे नाम या प्राधिकार का स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री के समक्ष उल्लेख करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। श्री सोलंकी ने इस बात की पुष्टि की है और किसी तरह से मेरे बारे में उल्लेख करने से पुरजोर शब्दों में इन्कार किया है। सदन को घटनाओं के क्रम के बारे में पहले ही जानकारी है क्योंकि वे पिछली बहस के दौरान सदन की जानकारी में लाई गई थीं। मैं एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि श्री सोलंकी द्वारा दिए गए नोट के बारे में न तो मुझे कोई जानकारी थी और न ही मैंने स्विस विदेश

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

मंत्री को दिए जाने के लिए किसी नोट को प्राधिकृत किया था।

अध्यक्ष महोदय, जबकि मैं अपने इस विचार पर कायम हूं कि किसी अखबार में दी गई किसी अप्रमाणिक रिपोर्ट के आधार पर चर्चा इन्कार या खण्डन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए फिर भी मैं माननीय सदस्यों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उस रिपोर्ट में उठाए गए कुछ मामलों में अपने विचार व्यक्त करूंगा।

अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्विस विदेश मंत्री श्री फेलबर को श्री सोलंकी द्वारा दिये गये नोट के पश्चात कुछ घटनाएं कथित रूप से घटीं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्विस सरकार से किसी नोट के बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अखबार की रिपोर्ट में जिस "23 मार्च, 1992 के स्विट्जरलैंड से सी० बी० आई० को एक पत्र" का उल्लेख किया गया है वह वस्तुत: स्विट्जरलैंड से सी० बी० आई० के वकील श्री मार्क बोनेन्ट से एक फैक्स सन्देश की ओर संकेत है जिसमें श्री सोलंकी द्वारा श्री फेलबर को दिये गये ज्ञापन का उल्लेख था। यह पत्र सी० बी० आई० के कार्यालय में 24 मार्च, 1992 को रात को प्राप्त हुआ था और सी० बी० आई० के निदेशक ने इसे 25 मार्च; 1992 को देखा, वकील श्री बोनेन्ट ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि श्री सोलंकी द्वारा दिया गया ज्ञापन प्रधान मंत्री के अनुरोध पर था। इस पत्र में उन्होंने सी०बी० आई० से विभिन्न मुद्दों के बारे में निदेश मांगे थे। सी० बी० आई० ने श्री बोनेन्ट को 26 मार्च, 1992 को तुरन्त ही उत्तर भेज दिया और कथित ज्ञापन के बारे में किसी जानकारी से इन्कार किया। सी० बी० आई० ने जोरदार शब्दों में कहा कि स्विस प्राधिकारी उक्त ज्ञापन को खातिर में लाए बिना अपनी जांच जारी रखें। अत: यह देखा जाएगा कि 23 मार्च, 1992 का पत्र एक वकील से अपने मुवक्किल को भेजा गया पत्र है और मुवक्किल ने तुरन्त और स्पष्ट शब्दों में कथित ज्ञापन का खंडन किया है।

अखबार की रिपोर्ट में एक अप्राधिकृत नोट के दिये जाने के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया के अभाव का भी उल्लेख किया गया है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि बहस के दौरान और विशेषरूप से मेरे अपने उत्तर में मैंने जोरदार शब्दों में ऐसे किसी सुझाव का खण्डन किया था कि वह नोट सरकार द्वारा या मेरी जानकारी से भेजा गया था। हमने सदन को सी० बी० आई० द्वारा स्विस प्राधिकारियों को 24 मार्च, 1992 और 26 मार्च 1992 को भेजे गए पत्रों के बारे में सूचना दी थी जिनमें हमने कानूनी सहायता के लिए अपने अनुरोध पर बल दिया था। इसके अलावा, जैसा कि सदन में कहा गया था, बहस के समाप्त होने के कुछ ही घंटों में स्विस सरकार को एक और पत्र भी भेजा गया था जिसमें इस बात का संकेत किया गया था कि श्री फेलबर को दिया गया नोट प्राधिकृत नहीं था और इसलिए वह सहायता के लिए हमारे बकाया अनुरोध को किसी भी तरह प्रभावित न करें। इस स्थिति के बारे में अगले दिन मैंने राज्य सभा को सूचित किया था। इसलिए सरकार या सी०बी०आई० द्वारा इस स्थिति के बारे में पर्याप्त रूप से अथवा उपयुक्त रूप से प्रतिक्रिया न करने का प्रश्न ही नहीं है।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर इस बात पर बल देना चाहूंगा कि मेरा सरकार सत्य का पता लगाने के लिए कानून के अनुसार और पूर्ण प्रयास से इस मामले की जांच कराने के लिए कटिबद्ध है। (व्यवधान)